रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2002/आषाढ़ 11, 1924
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2002/ASADHA 11, 1924

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2002

सं. 26(3)/2002-चिकि.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्नातक चिकित्सा शिक्षण विनियम, 1997 के विनियमों में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम "स्नातक चिकित्सा शिक्षण (संशोधित) विनियम, 2002" कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. स्नातक चिकित्सा शिक्षण, 1997 विनियमों में उप-विनियम के पश्चात् विनियम 13 में निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(10) जो विद्यार्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो परन्तु मात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ हो उसे विश्वविद्यालय के विवेक पर अधिकतम पांच अनुग्रहांक दिये जा सकते हैं"।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

[विज्ञापन III/IV/100/2002/असा.]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम, अर्थात् "चिकित्सा स्नातक शिक्षण विनियम, 1997" 17 मई, 1997 को भारत सरकार के राजपत्र के भाग 3 खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की 10 मई, 1999 की अधिसूचना के माध्यम से, 29 मई, 1999 को इनमें संशोधन किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2002

No. 26(3)/2002-Med.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely :—

1. (1) These regulations may be called the "Graduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2002".

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, in regulation 13, after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(10) The grace marks up to a maximum of five marks may be awarded at the discretion of the University to a student who has failed only in one subject but has passed in all other subjects."

Dr. M. SACHDEVA, Secy.

[ADVT III/IV/100/2002/Exty.]

Footnote : The Principal regulations, namely, "Regulation on Graduate Medical Education, 1997" was published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 17th May, 1997 and amended vide MCI notification dated 10th May, 1999 published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 29th May, 1999.

2072 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.